Case Study-1

स्टेशन पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे डीजल जेनरेटर के अनुरक्षण हेतु AMC में अनिमियतता ।

अनूप कुमार,
मुसतानि/सिग.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल में स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को संज्ञान में लेकर सतर्कता जाँच किया गया। जाँच में पाया गया कि स्टेशन पर जेनरेटर के अनुरक्षण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में कोई लागबुक या विवरण नहीं पाया गया। साथ ही स्टेशन पर जेनरेटर के संचालन समय के विवरण के सम्बन्ध में कोई लागबुक नहीं पाया गया। साइट पर ऐसा कोई लागबुक नहीं पाया गया, जिसके द्वारा डी-जी सेट के संचालन समय की निगरानी हो रही हो। जिससे कि सही समय पर फर्म द्वारा **250 hrs/3 months, 500 hrs/6 months, 1000 hrs/overhauling** के तहत किये जाने वाले जेनरेटर के अनुरक्षण कार्य सही समय पर किये जा सकें। ऑफ़िस के सुपरवाइजर द्वारा AMC से सम्बन्धित करारनामा की प्रति साइट सुपरवाइजर को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिसके कारण स्टेशन के साइट सुपरवाइजर को जेनरेटर के AMC से सम्बन्धित अनुरक्षण/विफलता के नियम एवं शर्तों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। साइट सुपरवाइजर द्वारा भी इस AMC से सम्बन्धित अनुरक्षण/विफलता के नियम एवं शर्तों के विषय में अपने स्तर से जानकारी प्राप्त करने का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। स्टेशन पर जेनरेटर के विफलता होने, फर्म को सूचना देने, विफलता अटैण्ड करने एवं ठीक करने के सम्बन्ध में कोई लागबुक या विवरण नहीं पाया गया।

स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर की संख्या एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार AT सप्लाई प्राप्त होने के बाद समायोजित नहीं की गई। एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार 25 kVA AC से विद्युतीकृत दोहरी लाइन खण्डों में यदि दो AT की सप्लाई उपलब्ध है तो कोई जेनरेटर आवश्यक नहीं हैं। इकहरी लाइन खंड में यदि एक AT की सप्लाई उपलब्ध है तो मात्र एक जेनरेटर की आवश्यकता है। यदि स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर की संख्या एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार AT supply प्राप्त होने के बाद समायोजित की गई होती तो AMC में जेनरेटर की संख्या कम होती, जिससे रेल राजस्व की बचत होती।

फर्म द्वारा AMC से सम्बन्धित करारनामा के नियम एवं शर्तों के तहत नियत जगहों पर अपने प्रतिनिधि/स्टाफ नियुक्त नहीं किये गए। जिसके कारण लगभग सभी

अनुरक्षण/विफलता समय से अटैण्ड नहीं किये गये। इसका एक कारण यह भी था कि 25 kVA AC क्षेत्रों में जेनरेटर के संचालन की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर है। क्योंकि 25 kVA AC क्षेत्र में पावर का बैक अप काफी अच्छा है। लगभग सभी स्टेशनों पर IPS लगा है जिसका बैक अप कम से कम 3 धण्टे होता है। जेनरेटरों के संचालन नगण्य होने के कारण फर्म एवं सुपरवाइजर द्वारा अनुरक्षण की खानापूर्ती की गई। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा कुछ विवरण ऐसा भी दर्ज किया गया है, जो फर्म द्वारा नहीं किया गया हैं। जिसे साइट सुपरवाइजर द्वारा टिप्पणी के साथ काट दिया गया है कि यह कार्य फर्म द्वारा नहीं किया गया है। एक दिन में 02 से 03 स्टेशनों का अनुरक्षण एवं ओवरहालिंग करने का विवरण भुगतान के समय दिखाया गया है। ऑफ़िस के सुपरवाइजर को सभी जानकारी होने एवं फर्म को ठीक से कार्य करने हेतु पत्र लिखने के बाद भी भुगतान के समय फर्म द्वारा विफलता ठीक करने में निर्धारित समय से काफी अधिक समय लेने के बावजूद पेनाल्टी के रुप में कोई कटौती नहीं की गई हैं। कुछ विफलता ऐसी भी मिलीं जिन्हें एक महीने बाद ठीक किया गया। बिल को साइट के सुपरवाइजर से सत्यापित नहीं कराया गया। AMC के तहत फर्म द्वारा जेनरेटर के अनुरक्षण का एवं विफलता अटैण्ड करने का कार्य करारनामा के अनुसार न करने के बावजूद फर्म के पक्ष में बिना पेनाल्टी के बिल का भुगतान किया जाना यह दर्शाता है कि ऑफ़िस सुपरवाइजर द्वारा फर्म को लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया और अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही की गई। जेनरेटर के AMC कार्य के निष्पादन में पर्यवेक्षकों द्वारा जानबूझ कर लापरवाही बरती गई तथा फर्म द्वारा AMC कार्य के ठीक से नहीं कराए जाने के बावजूद इनके द्वारा फर्म के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। फर्म द्वारा AMC के कार्य को करारनामा के नियम एवं शर्तों के अनुसार नहीं करने के बावजूद बिना पेनाल्टी की कटौती किये प्रथम 5 तिमाही का भुगतान कर फर्म को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। उपरोक्त अनिमियतता को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। जो कि सुपरवाइजर का पर्यवेक्षण कार्य है।

इस प्रकार सतर्कता जाँच में पाया गया कि :

- वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) के तहत फर्म द्वारा स्टेशनों के जेनरेटर के नियमित अनुरक्षण तथा विफलताओं को अनुबंध में अंकित निर्धारित अवधि के अनुसार अटैन्ड नहीं किया जा रहा था।
- पर्यवेक्षकों द्वारा स्टेशनों पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड नहीं बनाया गया था।
- फर्म द्वारा अनुबंध में अंकित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पद स्थापित नहीं किया गया था।
- फर्म द्वारा जेनरेटर के AMC के तहत अनुरक्षण/विफलता का कार्य करारनामा के नियम एवं शर्तों के अनुसार न करने के बावजूद भुगतान में पेनाल्टी की कटौती नहीं की गई।

- साथ ही सुपरवाइजर द्वारा लम्बे समय से किये जा रहे उपरोक्त अनिमियतता को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

उपरोक्त अनिमियतता के लिए सतर्कता विभाग की संतुति पर विभाग द्वारा जिम्मेदार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फर्म के उपर पेनाल्टी लगाने के साथ करारनामे की अल्पावधि समाप्ति कर दी गई।

****

शुचि दर्पण